राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,राजस्थान, जयपुर
फोन न. 0141–2221463, Email ID: uhcrajasthan@gmail.com

F.20(504)/NRHM/-H&WC/CHO-2020/999 दिनांक:-25-8-2021

आदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सीएचओ के 7810 पदों पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञप्ति दिनांक 31.08.2020 जारी कर आवेदित अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 10.11.2020 को स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा कर दस्तावेज सत्यापन उपरान्त विज्ञप्ति क्रमांक 1004–05 दिनांक 08.05.2021 के द्वारा चयन सूची जारी की गई थी।

भारत सरकार से प्राप्त ब्रिज कोर्स की गाईडलाईन के अनुसार चयनित अभ्यर्थीयों को आदेश क्रमांक 803 दिनांक 10.05.2021 के द्वारा संबंधित संभाग के संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत कर सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन COVID-19 (कोरोना वायरस) की महामारी के एक्टिव केस के अनुसार अस्थाई रूप से कार्यव्यवस्थार्थ लगाया गया है।

उक्त सूची में से जिन अभ्यर्थियों ने इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविधालय (IGNOU) एवं अन्य University या संस्थान से Bridge Programme Certificate Course in Community Health for Nurse (BPCCHN) कर रखा है, उन अभ्यर्थियों के अतिरिक्त शेष रहे अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करवाया जाना है।

BPCCHN हेतु स्टडी सेन्टर का आवटंन merit cum preference के आधार पर किया जायेगा। निर्धारित अवधि में preference नही देने पर विभाग द्वारा अपने स्तर से दिया जायेगा। इस हेतु सम्बन्धित सीएचओ अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह 3 जिलो के नाम प्राथमिकता के आधार पर प्रोग्राम स्टडी सेन्टर आवंटन के लिए 3 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करे। जिलों के नाम भिजवाने हेतु विभागीय वेबसाइट rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध वेब लिंक **http://chrisnrhm.org/choignou.aspx** का उपयोग करे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सुधीर कुमार शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0 क0
एवं मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपिनिम्नकोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
3. निजी सहायक, विशिष्ठ शासन सचिव, एवं मिशन निदेशक, एनएचएम राजस्थान।
4. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (हैल्थ) को आवश्यक सूचनार्थ।
6. समस्त अभ्यर्थियों को आवश्यक पालनार्थ।
7. सर्वर प्रभारी कक्ष को सम्बन्धित को ई–मेल हेतु एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
8. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एनएचएम